→ (2) – विद्यालय मे नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही निर्धन परिवार के बच्चो की अनिवार्य आवश्यकताओ को पूरा करते हुए उन्हे अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

→ (3) ग्रामीण एवम् मलीन बस्तियो मे मनोरंजन व स्वास्थ्य सुविधा की उचित व्यवस्था की जाए। ऐसे शिक्षा पर विशेष बल प्रदान किया जाए क्योकि शिक्षित स्त्रियाँ अपने बच्चो का उचित ढंग से पालन पोषण कर सकेगी।

→ (4) बच्चो को सर्वथा अश्लील साहित्य एव गतिविधियो से दूर रखा जाए

→ (5) बाल न्यायालय सुधारगृह बोर्स्टल स्कूल, रिमाण्डगृह आदि संस्थाओ मे वृद्धि की जाए तथा साथ ही साथ इसमे नियुक्त कर्मचारी/अधिकारियो को उचित प्रशिक्षण दिया जाय। ताकि वह प्रकार के संचालित संस्थाए प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहारिक - निर्णय कर सके

→ (6) रेडियो, समाचार पत्र, टेलिवी, दूरदर्शन सिनेमा के साथ-2 आधुनिक मनोरंजन के साधनो मे सुधार इन्टरनेट, लैपटॉप कम्प्यूटर, व मोबाईल पर बाल अपराध के विरुद्ध प्रचार किया जाय ताकि मनोरंजन के नाम पर अश्लील परोसा जाए।

→ (7) मनोरंजन के साधनो के माध्यम से उत्तेजक एव अपराधिक दृश्यो, अश्लील नृत्य प्रदर्शनी आदि को युवा मन मे लुभाने वालो को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। तथा सरकार द्वारा इनपर नियन्त्रण हेतु बने कानूनो का कड़ाई से पालन कराया जाए।

→ इन उपर्युक्त बिन्दुओ के अतिरिक्त बाल अपराधी मे कमी हेतु सार्वजनिक लोक कार्यक्रमो पर बल देना, लोक जीवन का समुन्नयन, सामाजिक समस्याओ का समुचित विवेचन सामान्य शैक्षणिक सुधार, अनिवार्य शिक्षा, विद्यालयो के उपरान्त अवकाश का सदुपयोग व सामान्य जन-जीवन हेतु आवश्यक पर्यावरण मे सुधार आदि पर अमल कर बाल अपराध मे कमी की जा सकती है

=

Scanned by TapScanner

→ (2) – विद्यालय मे नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही निर्धन परिवार के बच्चो की अनिवार्य आवश्यकताओ को पूर्ण करते हुए उन्हे अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

→ (3) ग्रामीण एवं मलीन बस्तियों मे मनोरंजन व स्वास्थ्य सुविधा की उचित व्यवस्था की जाए। ऐसे शिक्षा पर विशेष बल प्रदान किया जाए क्योकि शिक्षित स्त्रियाँ अपने बच्चो का उचित ढंग से पालन पोषण कर सकेगी।

→ (4) बच्चो को सर्वथा अश्लील साहित्य एव गतिविधियो से दूर रखा जाए

→ (5) बाल न्यायालय सुधारगृह बोर्स्टल स्कूल, रिमाण्डगृह आदि संस्थाओ मे वृद्धि की जाए तथा साथ ही साथ इसमे नियुक्त कर्मचारी/अधिकारियो को उचित प्रशिक्षण दिया जाय। ताकि वह प्रभार के संचालित संस्थाए प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहारिक निर्णय कर सके

→ (6) रेडियो, समाचार पत्र, टेलिवीजन, दूरदर्शन सिनेमा के साथ-2 आधुनिक मनोरंजन के साधनो मे सुधार इण्टरनेट, लैपटॉप कम्प्यूटर, व मोबाईल पर बाल अपराध के विरुद्ध प्रचार किया जाय ताकि मनोरंजन के नाम पर अश्लील परोसा न जाए।

→ (7) मनोरंजन के साधनों के माध्यम से उत्तेजक एव अपराधिक दृश्यो, अश्लील नृत्य प्रदर्शनी आदि को युवा मन को लुभाने वालो को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। तथा सरकार द्वारा इनपर नियन्त्रण हेतु बने कानूनो का कड़ाई से पालन कराया जाए।

→ इन उपर्युक्त बिन्दुओ के अतिरिक्त बाल अपराधी मे कमी हेतु सार्वजनिक लोक कार्यक्रमो पर बल देना, लोक जीवन का समुन्नयन, सामाजिक समस्याओ का समुचित विश्लेषन सामान्य शैक्षणिक सुधार, अभिभावकीय शिक्षा, विद्यालयो के उपरान्त अवकाश का सदुपयोग व सामान्य जन-जीवन हेतु आवश्यक पर्यावरण मे सुधार आदि पर अमल कर बाल अपराध मे कमी की जा सकती है।

Scanned by TapScanner